(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:— 1. Director, National Museum of Natural History – Chairman; 2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4(27)/2016-17/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,—

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	*1 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500 रु॰)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

रिक्तियों की प्रतिशतता	
(10)	(11)
लागू नहीं होता	**प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में (47600-151100 रु०) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में (44900-142400 रु०) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों; अर्थात:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री हो; और (ii) सरकारी कार्यालय या लोक सेवा उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापन कार्य में तीन वर्षों का अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:**—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 4(30)/2017-18/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2018

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, National Museum of Natural History, Administrative Officer Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**-No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By Deputation	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or Department or equivalent; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix in the parent cadre or Department or equivalent; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:— (i) degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience in accounts, administration, establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 4(30)/2017-18/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय प्रकाशन सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में प्रकाशन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—